# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौडगढ
## पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/15/2019 दायर दिनांक 13.09.2019

उनवान

1. काना पिता होकमा जाति सालवी उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. प्यारा पुत्र होकमा जाति सालवी उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मांगू पुत्र होकमा जाति सालवी उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 01.12.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## —:निर्णयः—

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत लांगच में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 261 की आराजी संख्या 291, 292, 293 है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम किशना दर्ज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का प्रचलित दस्तावेजी नाम काना पिता होकमा सालवी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी का नाम उक्त आराजी [illegible] जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड मे किशना अंकित किया हुआ है यह नाम प्रार्थी का उपनाम [illegible] मूल नाम प्रार्थी का काना पिता होकमा सालवी उपनाम दर्ज रहने से प्रार्थी के प्रचलित नाम दस्तावेज [illegible]टरकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, आदि से मिलान नहीं होता है जिससे कई प्रकार की राजकीय कृषि योजनाओं का लाभ प्रार्थी नही ले पा रहा है। कृषि ऋण लेने के लिये उक्त

किशना पिता होकमा जाति सालवी के बजाय काना पुत्र होकमा हिस्सा 1/3 जाति सालवी दर्ज संशोधन किया जाने की प्रार्थना है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम लांगच के आराजी संख्या 291, 292, 293 में मेरा नाम किशना के बजाय काना दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन व अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत लांगच में आदेशिका पर नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रार्थी ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम लांगच की खाता संख्या 261 व पहचान पत्र की फोटोप्रति, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत लांगच द्वारा जारी प्रमाण पत्र व सहखातेदार मांगू ने आदेशिका पर अनापत्ति अंकित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का खाता संख्या 261 में किशना पुत्र होक्मा जाति सालवी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम काना प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार मांगू के अनापत्ति व ग्राम पंचायत लांगच के प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 261 में दर्ज किशना पुत्र होक्मा जाति सालवी के बजाय काना पुत्र होक्मा जाति सालवी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official